बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः— 3/अ0प्र0—1—437/2012 874 /पटना, दिनांक :— 28.4.2020

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन फेसर रोड़ ईदगाह से धरनीधर रोड भाया बराटपुर अखाड़ा तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य से संबंधित निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 254 अनु0 दिनांक 20.01.14 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 14.10.2014 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए संकल्प ज्ञापांक—2301 अनु0 दिनांक 22.06.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री कमलेश चौधरी, तदेन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विश्वबंधु राजीव रंजन, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 041 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना में पी0सी0सी0 कार्य के साथ बिटुमिनस कार्य से संबंधित यंत्र—संयत्र का उल्लेख करने के लिए श्री सिंह को जिम्मेवार माना गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री सिंह के पत्र दिनांक 20.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया गया था। उक्त के आलोक में श्री सिंह के बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अगले तीन वर्षो तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 357 अनु0 दिनांक 17.01.20 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3368 दिनांक 13.03.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

7. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:—

(i) **अगले तीन वर्षो तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/4/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

N.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः– 28.4.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः– 28.4.2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः– 28.4.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 3368 दिनांक 13.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः– 28.4.2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता– बी 304, मोनिका अपार्टमेन्ट, पोस्ट–भेटनरी कॉलेज, पूर्वी थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः– 28.4.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–437/2012 875 /पटना, दिनांकः–28.4.2020

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

27/4/2020.

अपर सचिव

ꓯ.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in